

बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण)

पत्रांक: - ब्लाडा (लेखा) 02/22/2026 461

/पटना, दिनांक 23 सितम्बर, 2026

आदेश

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, जगदीशपुर का पत्रांक 1658 दिनांक 22.09.2026 तथा जिला योजना पदाधिकारी, भोजपुर का पत्रांक 865 दिनांक 19.08.2026 के आलोक में उक्त कार्य प्रमंडल को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय बिहार विधान मंडल सदस्यों की अनुशंसा पर स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमान्यता राशि के अधीन निम्न प्रकार से राशि आवंटित किया जाता है:-

(राशि लाख रुपये में)

राशि लाख रुपये में

वर्ष	वर्तमान में कुल आदेयता / दायित्व की राशि		पूर्व में विमुक्त राशि	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि	उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतिशत्	वर्तमान में आवंटित राशि
1	2		3	4	5	6
2022-23	MLA	900.00	900.00	900.00	100.00	125.18
	MLC	134.38				
	Total	1034.38				
2023-24	MLA	1200.00	1368.62451	1368.62451	100.00	58.93549
	MLC	227.56				
	Total	1427.56				
कुल						184.11549

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹1025.18 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-₹850.89940 लाख रुपये, एस0सी0 मद-₹164.02880 लाख रुपये तथा एस0टी0 मद-₹10.25180 लाख रुपये माना जाय।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अबतक आवंटित कुल राशि ₹1427.56 लाख रुपये की राशि को मदवार सामान्य मद-₹1199.1504 लाख रुपये, एस0सी0 मद-₹228.4096 लाख रुपये माना जाय।

उपर्युक्त विवरणी के स्तभ-6 में अंकित राशि यथा 2022-23 एवं 2023-24 के लिए कुल राशि ₹184.11549 लाख (एक करोड़ चौरासी लाख ग्यारह हजार पाँच सौ उनचास रुपये) मात्र कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, जगदीशपुर को CFMS के माध्यम से राशि अंतरण करने का आदेश दिया जाता है।

शर्त:-

- (1) आवंटित की जा रही राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए है, अतएव इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं पर ही व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।
- (2) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जा रही राशि को इस मद अंतर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत योजनाओं पर व्यय किया जा सकता है। संबंधित कार्यपालक अभियंताओं द्वारा व्यय की जा रही राशि को संबंधित वर्ष के लिए राशि प्राप्त/उपलब्ध होने के पश्चात् उक्त वित्तीय वर्ष के लेखा में समायोजन करना सुनिश्चित किया जायेगा। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (3) आवंटित राशि के विचलन की स्थिति में संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

- (4) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत वर्ष 2011-12 से 2026-27 तक आवंटित राशि का वर्षवार उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र **BTC Form 27C** एवं **27C1** में तैयार कर बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (ब्लाडा) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (5) उपलब्ध करायी गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र की राशि वित्तीय वर्ष के लिए वांछित राशि (यथा आवंटित राशि का **60%** राशि) से कम होने की स्थिति में उक्त वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान्यता की अवशेष राशि विमुक्त नहीं किया जायेगा।
- (6) इस आवंटित राशि का व्यय प्रासंगिक वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियमावली में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए किया जायेगा।

ह0 /

(डॉ० नुरूल हक सिवानी)

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,

ज्ञापांक:- ब्लाडा (लेखा) 02/22/2026 **461**

/पटना, दिनांक **23** सितम्बर, 2026

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रशासी पदाधिकारी, (MKVY प्रभारी), योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
7. जिला योजना पदाधिकारी, भोजपुर, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
8. लेखा शाखा, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण को CFMS के माध्यम से कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, जगदीशपुर को राशि **₹184.11549 लाख (एक करोड़ चौरासी लाख ग्यारह हजार पाँच सौ उनचास रुपये)** मात्र Fund Transfer करने हेतु प्रेषित।
9. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-02, जगदीशपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त राशि GEN, SC एवं ST मद के अनुसार ही राशि **CFMS** के माध्यम से खर्च करना सुनिश्चित करे।
10. श्री सुदामा कुमार, आई0टी0 मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी